

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प खेडिया

३३०
३०/५/१८

दि. नं० २०/१८
३०/५/१८

—: आदेश :—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खेडिया व भू-अभिलेख निरीक्षक खेडिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मालपुर / नायब तहसीलदार X की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लेडोरखुई तहसील मालपुर व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् २०७३-७६ में खाता संख्या ८३ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	लेडोरखुई	83	मंगल पुत्र भोला कौम चमार लोडे	मंगल पुत्र भोला कौम जायब लोडे

(खेडिया)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प खेडिया
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक : -
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार मालपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री मंगल पुत्र भोला जायब लोडे को सूचनार्थ।